


आराजी नं-33

कोदोषकारी

24999

1000Rs.



32

34001

पारसनाथ सिंह

मैं कि पारसनाथ सिंह पुत्र श्री जोका सिंह साकिन
 मौजा पहाड़ी, परगना देहात अमानत, जिला वाराणसी
 का हूँ ।

विदित हो कि जायदाद हस्त तफसील जैल
 हम मिनमुक्तिर को तनहा सम्पत्ति हैं । जिसपर मिनमुक्तिर
 बतौर मालिक का खज दखील है किसी दोगर व्यक्ति से
 कोई वास्ता ख्वाह सरोकार नहीं है । जिसे हस्तान्तरण
 करने का पूर्ण अधिकार मिनमुक्तिर को हासिल है ।

मिनमुक्तिर को इस समय रुपये की सख्त आवश्यकता वास्ते
 मरम्मत मकान व खर्च खानगी के दरपेश है । विला बैनामा
 किये रुपये का मिलना व जरूरत का पूरा होना सम्भव
 नहीं है । मिनमुक्तिर जायदाद तफसील जैल को बेपने की
 बात चीत आम लोगो में चलाया जिसे खरीदने के लिये

श्री. माकिश पबाल पुत्र शमसुद्दीन शहीद, गलापुर्वा
 जिला वाराणसी
 जालेइ जिला वाराणसी



-3-

पारस नाथरि

पाबन्द शरायत जेल का होता हूं ।

1- यह कि मिनमुकिर को कुल जर समन बैनामा हाजा मु० 20000/-बीस हजार रूपया सुरक्षा की दृष्टि से क्वल बैनामा समक्ष गवाहान क्रेती मजकूर से प्राप्त हो गया है । अब एक भी पैसा जिम्मे क्रेती हम मिनमुकिर का बाकी नहीं रह गया ।

2- यह कि आज की तारीख तक जो जो हक व अधिकार जायदाद मुवझ्या में मिनमुकिर को हासिल था वह सब हक व अधिकार आज की तारीख से क्रेती मजकूर बय व मुन्तीकल कर दिया तथा मिनमुकिर अपना कब्जा दखल हटा कर उसपर क्रेती का कब्जा दखल बतौर मालिक करा दिया । अब क्रेती को हक हासिल है कि वह जायदाद मुवझ्या पर काबिज दखील रहकर जो फेल

100Rs.



-4-

३१/१०/२०१६

मालिकाना चाहे अमल में लावे तथा कागजात सरकारी से मिनमुकिर का नाम खारिज कराकर उसकी जगह अपना नाम दर्ज करा कर टैक्स आदि अदा कर रसीद अपने नाम से हासिल किया करेगी ।

उ- यह कि जायदाद तफ्तील जैल हर प्रकार के वार देन व वार किफालत से पाक व साफ है कहीं रेहन ख्वाह जेर जमानत नहीं है अगर कोई वार बावत कब्जा दखल क्रेती के पैदा हो या कब्जा दखल होकर कुल या जुज रकवा से निकल जावे तो ऐसी सूरत में क्रेती को हक हासिल होगा कि वह अपना कुल जर समन बैनामा हाजा मय सूद 2/१०० तैकड़ा माहवार की दर से मिनमुकिर की दीगर चल व अचल सम्पत्ति से वसूल कर लेवेगी ।

100Rs.



-5-

4- यह कि जायदाद तफसील जैल मुख्य सड़क से 300मीटर से अधिक दूरी पर वाका है ।

5- यह कि जायदाद विक्रयसुद्धा सीलिंग स्लट की धारा 10१ 3१ से प्रभावित नहीं है और न राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की गयी है ।

6- यह कि चूं कि बैनामा मु० 20000/-रु०में तय व पोखता हुआ है परन्तु सरकारी मालियत के हिसाब से मु० 34000/-रु० पर आवश्यक स्टाम्प अदा किया जा रहा है ।

7- यह कि मिनसुकिर अनुसूचित जाति का नहीं है ।

8- यह कि जायदाद मुवझ्या के बावत कोई सदटा पूर्व में तहरीर नहीं हुआ है ।



-6-

9- यह कि मिनमुकिर ने कुल मजमून बैनामा हाजा को बख्शी पद व पदवा कर सुन व समझ लिया है जिसकी हर आइना पाबन्दी मिनमुकिर व वारिसान व कायम मुलामान मिनमुकिर पर है व रहेगी ।

लिहाजा यह चन्द कलमा वतरीक बैनामा लाकलामी के लिख दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे ।

तफ्तील जायदाद जिसके बावत बैनामा लिखा गया-

आराज्जी नंबर 33 रकवा 1120 वर्गफीट जिसकी उत्तरी व दक्षिणी भुजा 20 फीट व पूरवी व पश्चिमी भुजा 56 फीट, स्थित मौजा गनेशपुर परगना देहात अमानत, तहसील व जिला वाराणसी हसब चौहद्दी जैल-पूरब- जमीन रामजानकी शर्मा ।

100Rs.



-7-

पश्चिम- जमीन मिनमुकिर ।

उत्तर- चकरोड ।

दक्षिण- जमीन क्रेती मजकूर ।

तहरीर तारीख: 19.7.99ई0 ।

नोट-पेज नं02 में सतर । व 12 में प्रच्छ "पृताप" बाताय
मसविदाकर्ता- भई प्रसाद प्रसाद सतर है सही है ।

टाईपकर्ता- रामनिहोर सेठ

कस्टरी लखहरी, वाराणसी ।

पासवनाचरिंह

१६०२

११८०५

१००) पारलनाय लिख मा पचादेरी
वाराणसी

रुद्रोत्पत्ति (१५६)
१०६ -
१८/११/२०००
२३० के अंक १२५५
अंक ११

श्री प्रफारा शास्त्री
स्टाम्प विक्रेता
कलकत्ता कचहरो वाराणसी

१०३-११
को वह फोटो खेद प्रति ५५
पुस्तक संख्या १२१०५ के पत्र ६६
में लेखक संख्या ५२५५ पर रजिस्ट्री करण
की गयी तथा न.पा.पु.अ.००० के पत्र
पर चस्पा हैं।

उप निबंधक ॥
वाराणसी

५०१०२०
६०
१३-२०००



2018-7-4